कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, खण्ड, पाली

क्रमांक/ई.पी.एच./पीसी नीलामी/2025-26/87-109 दिनांक- 09.04.2025

नीलामी-सूचना वर्ष 2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खण्ड के अधीनस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग कुडी (जोधपुर)-रोहट के समानान्तर बिछी पुरानी/अनुपयोगी 300/450/500 एमएम व्यास की एमएस पाईप लाईन यथा स्थिति में पडे/लगे की नीलामी की जावेगी। नीलामी सूचना को विभागीय वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। उक्त नीलामी सूचना Web Site पर अपलोड कर दिया गया है।

(UBN is: PHE2526WSOB00746)

अनुपयोगी सामान का विवरण	नीलामी किये जाने वाले सामान की पुस्तक मूल्य	नीलामी बोली में शामिल होने हेतु अमानत राशि (रू. में)	नीलामी स्थल	नीलामी तिथि
राष्ट्रीय राजमार्ग कुडी (जोधपुर)-रोहट के समानान्तर बिछी पुरानी/अनुपयोगी 300/450/500 एमएम व्यास की एमएस पाईप लाईन को यथा स्थिति में पडे/लगे को नीलाम करने का कार्य।	रू. 115.45 लाख	रू. 06.00 लाख	सहायक अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, उपखण्ड, रोहट	21.05.2025

नीलामी की शर्तें:-

1. नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व अमानत राशि 6,00,000/- नकद **अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड पाली** के नाम से प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जमा किया जायेगा।
2. नीलामी की कार्यवाही दोपहर 01:30 बजे से 5:00 बजे तक की जायेगी।
3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली समाप्त होगी उन्हे उसी समय राशि रू. 10.00 लाख (अमानत राशि के अतिरिक्त) जमा कराने होगें तथा तीन दिवस के भीतर अधिकतम बोली राशि का 25 प्रतिशत (उपरोक्त रू. 16.00 लाख कम करते हुए) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा 07 दिवस में जमा करवाना होगा, अन्यथा पूर्व में जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. पाईप निकालने एवं परिवहन के दौरान तृतीय पक्षकार (**Third Party**) को किसी भी प्रकार के क्षति के लिये सफल बोलीदाता फर्म जिम्मेदार रहेगी।
5. उच्चतम बोली बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली से पश्चात नियमानुसार जीएसटी राशि चालान द्वारा जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. नीलामी किये जाने वाले एमएस पाईप लाईन जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर बिछी/पडी हुई है। जिसका अवलोकन बोलीदाता नीलामी बोली दिनांक से पूर्व कर सकते है।
7. यथा स्थिति में पडे/लगे पुरानी एमएस पाईपो को निकालने के लिए रोड कटिंग की आवश्यकता होने पर रोड कटिंग का व्यय फर्म द्वारा किया जाएगा।
8. बोलीदाता को भूमि के भीतर बिछी एमएस पाईपो को अपनी लागत व जोखिम पर बाहर निकाल कर उचित माध्यम से स्वयं की लागत पर वैध रजिस्ट्रर्ड वाहन के माध्यम से परिवहन कर ले जाना होगा।
9. पाईप लाईन काटने/निकालने के लिए आवश्यक औजार/मशीनरी/सामग्री की व्यवस्था फर्म को करनी होगी।
10. बोलीदाता को एमएस पाईप लाईन निकालते समय सामानान्तर बिछी विभागीय पाईप लाईन/केबल/अन्य किसी पाईप लाईन/सम्पत्ति को बिना क्षतिग्रस्त किये कार्य पूर्ण करना होगा।
11. यदि बोलीदातता द्वारा एमएस पाईप लाईन निकालते समय सामानान्तर बिछी किसी भी पाईप लाईन/केबल/सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो अपने खर्च पर पुनः दुरूस्त करने के जवाबदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।
12. परिवहन हेतु काम में लिये जाने वाले वाहनो के वैध रजिस्ट्रेशन एवं वैध बीमा की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
13. उपरोक्तानुसार बोली में उचित राशि प्राप्त नहीं होने पर नीलामी कमेटी को बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा अन्य किसी भी अपरिहार्य कारणो से नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. नीलामी तिथि को अवकाश होने की स्थिति में नीलामी आगामी तिथि को रखी जायेगी।

(कानसिंह राणावत)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड -पाली

PC Nilami 2025